



# FRANKLIN TEMPLETON

प्रेसिडेंट का पत्र

नवम्बर 23, 2020

प्रिय यूनिटधारक,

पिछले कुछ दिनों में आपमें से अनेक लोगों ने हमारे अगले कदम की जानकारी लेने हेतु हमसे संपर्क किया है। जैसा कि जानते हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के न्यासी (ट्रस्टी) ने अप्रैल 2020 में अपने 6 डेट फंड्स को समाप्त करने का फैसला किया था। यह फैसला कोरोनावायरस संबंधी लॉकडाउन के गंभीर प्रभाव के कारण बाज़ार के अतरल हो जाने कारण किया गया था। तत्काल, यूनिटधारकों द्वारा रिडेम्पशन जारी रहने का मतलब होता फंड्स में धारित प्रतिभूतियों को काफी कम भाव पर बेचना। ऐसा होने पर एनएवी में भारी गिरावट हो जाती। इसलिए न्यासी ने हमारे यूनिटधारकों को घबराहट में रिडेम्पशन से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इन छः फंड्स को समाप्त करने का कठिन फैसला किया।

मई 2020 में, न्यासी (या डेलॉइट) ने फंड्स में धारित ऋण प्रतिभूतियों की सुव्यवस्थित बिक्री आरम्भ करने और यूनिटधारकों को पैसे वापस करने की अनुमति के लिए सेबी म्यूच्युअल फण्ड विनियम की धारा 41(1) के तहत यूनिटधारकों का वोट माँगा था। लेकिन उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

यद्यपि योजनाएँ पोर्टफोलियो का सक्रिय मौद्रिकरण नहीं कर सकीं, हमारे इन छः योजनाओं में से 4 में वितरण के लिए लगभग 5,900 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। यह दर्शाता है कि अगर योजनाओं को तरलीकरण की सुव्यवस्थित प्रक्रिया आरम्भ करने की **अनुमति** मिले, तो फंड्स में धारित प्रतिभूतियाँ उचित मूल्य पर तरलीकृत की जा सकती हैं। निश्चित ही यह प्रतिभूतियों की मजबूरन बिक्री (भारी रियायती दर पर) की अपेक्षा बेहतर है, क्योंकि जल्दबाजी में रिडेम्पशन के कारण प्रतिभूतियों का बाज़ार की सामान्य अवस्था में प्राप्त मूल्य से काफी कम कीमतों पर आकस्मिक रिडेम्पशन करना पड़ता।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात हमने अल्पतम संभव समय में सुव्यवस्थित तरीके से यूनिटधारकों के धन की वापसी आरम्भ करने के लिए पिछले कुछ सप्ताहों में दौरान सभी संभव विकल्पों पर विचार किया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यूनिटधारक की सहमति माँगने का विकल्प सम्मिलित है।

तथापि, विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत हमारा दृढ़ मत है कि यूनिटधारकों के सर्वोत्तम हित में क़ानून के समुचित कार्यान्वयन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक हस्तक्षेप प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस कारवाई में कुछ समय लगा, क्योंकि इन कदमों को सावधानी और सोचविचार के साथ बढ़ाना ज़रूरी था ताकि जल्दबाजी में रिडेम्पशन के कारण प्रतिभूतियों की मजबूरन बिक्री (काफी रियायती दर पर) के बग़ैर न्यायसंगत तरीके से यूनिटधारकों का धन शीघ्रातिशीघ्र वापस की जा सके।

यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र यूनिटधारकों को योजना की अस्तियों का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए न्यासी सचमुच इच्छुक और प्रयासरत है। हम इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति की जानकारी देंगे। इस बीच, मेरी टीम और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध हैं। इन कठिन समय में लगातार सहयोग के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।

कृपया सुरक्षित और स्वस्थ रहे !

भवदीय,

## संजय सप्रे

प्रेसिडेंट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन असेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

### अस्वीकरण

इस संचार में सन्निहित जानकारी प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य का पूर्ण निरूपण नहीं है और इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है। इस संचार में उल्लिखित वक्तव्य/ राय/ अनुशंसाएँ, जिनमें “होगा”, “आशा है”, “हो सकता है”, “यकीन” और समान अभिव्यक्तियाँ या इस प्रकार की अभिव्यक्तियों के विरूपण जैसे शब्द या शब्दावली शामिल हैं, वे “भविष्यवादी वक्तव्य” हैं। बाजार के जोखिम, भारत में विश्व स्तर पर अन्य देशों में सेवा और/या निवेशों पर प्रभाव डालने वाली सामान्य आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों के और इनके अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों के भी सन्दर्भ में हमारी अपेक्षाओं से सम्बंधित जोखिम या अनिश्चितताओं के कारण वास्तविक परिणाम भविष्यवादी वक्तव्य में बताये गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। एएमसी, न्यासी, उनके सहयोगी, अधिकारी या कर्मचारी या धारक कंपनियाँ इन योजनाओं में निवेशों पर मूलधन, या आश्वासन या आमदनी के प्रतिलाभ की न तो आश्वासन देती है, न गारंटी करती है। निवेश सम्बन्धी कोई फैसला करने से पहले कृपया योजना सूचना दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट <http://www.franklintempletonindia.com> देखें।

**म्यूच्युअल फण्ड में निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन होते हैं, योजना से सम्बंधित सभी दस्तावीज ध्यान से पढ़ लें।**